

महिला सशक्तीकरण और वर्तमान कानून

डॉ. राम मेहर सिंह,

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्दा

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। स्त्रियों की स्थिति ही वह सपना है जो समाज की दशा को स्पष्ट कर देता है। स्त्रियाँ ही संतति की परंपरा के निर्वाह में मुख्य भूमिका निभाती रही है। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियाँ उपेक्षित ही रही हैं। आखिर स्त्रियों की इस उपेक्षा के पीछे कौन सी परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं? आखिर ऐसी कौन सी रूढ़ियाँ, मान्यताएँ, आडंबर और बेडियाँ स्त्रियों को जकड़े गये हुए हैं कि वे समाज के दबे-कुचले वर्ग का एक बड़ा भाग होकर रह गयी हैं? सवाल बहुतेरे हैं और उनके जवाब भी। लेकिन जो बात छूट रही है वह है इन सवालों का समुचित निदान। इनका पूरा खात्मा और ऐसी समस्याओं को उपजने देने वाली परिस्थितियों से पूरी तरह निजात। आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज में स्त्रियों को बाजार की वस्तु बन दिया गया है। आज फिल्में बनती हैं तो उसमें भी जो दिखता है वही बिकता है का फार्मूला ही फिट होता है। समाज अपने नैतिक मूल्यों, गरिमा, भद्रता और शिष्टता से कोसों दूर चला गया है। अब इस समाज में मर्यादा और मर्यादित जीवन सिर्फ एक दुःखद स्वप्न बनकर रह गया है। बाल विवाह, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति वधुओं को दहेज के लिए जलाकर मार देना और न जाने कितने अपराध सरकारी प्रयासों के बावजूद इस समाज की जड़ों में गहरे तक जम चुके हैं। आज के इस भूमंडलीकृत समाज में स्त्रियों का अवैध व्यापार बे-रोक-टोक जारी है। हालांकि इस व्यापार को रोकने के लिए कानून बने हैं और उस कानूनों का यथासंभव अनुपालन भी होता है लेकिन देह व्यापार के धंधे में लिप्त दलाल इनका भी तोड़ निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी लड़की को देह व्यापार में ढकेला जाता है तो उसे देश के साथ विदेश में भी भेजा जाता है जहाँ उसे बहुत मूल्य दिया जाता है। पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि इन लड़कियों को पर्यटक वीजा देकर विदेश भेजा जाता है। इस प्रकार के अनेकों उपाय अपनाकर शोषण के नए-नए तरीके अपनाए जाते हैं और सरकारी प्रयास खुद में उलझकर रह जाते हैं। परंतु सच्चाई यह भी है कि केवल सरकारी प्रयासों या कानून से तब तक किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता, जब तक कि हम स्वयं सक्रिय और जागरूक न हों। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेकों कानून बनाए, उन्हें लागू किया और नित नए-नए कानूनों का निर्माण भी कर रही है। दहेज हत्या, बलात्कार, सतीप्रथा, और घरेलू हिंसा जैसे विभिन्न प्रकार के कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए पारित किए गए।

हाल ही में घरेलू हिंसा से महिलाओं के निजात के लिए एक नया कानून लागू किया गया। 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005' नाम के अधिनियम को 14 सितम्बर 2005 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। प्रारंभ में इस अधिनियम की प्रतियाँ राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस अधिकारियों के पास प्रचार-प्रचार के लिए भेजी गयीं। ससंद के दोनों सदनों ने इस अधिनियम 2005 में ही स्वीकृति दे दी थी और 14 सितम्बर 2005 को राष्ट्रपति की भी स्वीकृति इसे प्राप्त हुई और महामहिम ने इस पर हस्ताक्षर किए। कुछ कारणों से इसे लागू करने में विलंब हुआ। यद्यपि 26 अक्टूबर 2006 से इस लागू किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। प्रथम, इस कानून में घरेलू हिंसा की जो परिभाषा ही गयी है उनमें वास्तविक दुर्व्यवहार अथवा शारीरिक, यौन, शाब्दिक, आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी और भावनात्मक उत्पीड़न को शामिल किया गया है। महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना, बच्चे न होने अथवा पुत्र के जन्म न लेने पर ताने मारना और अपमानित करना भी इस कानून के प्रावधानों में शामिल है। द्वितीय, इसमें पीड़ित महिला के ससुराल अथवा संयुक्त परिवार में रहने के अधिकार का उपबंध भी किया गया है चाहे ऐसे घर या परिवार पर महिला का स्वामित्व हो अथवा न हो। यदि प्रतिवादी महिला नहीं है तो उसे वह घर छोड़ने के लिए जिसमें शिकायकर्ता महिला के साथ रह रहा है अथवा उसके जैसा वैकल्पिक आवास महिला को देने या उसके लिए ऐसा घर किराए पर लेने का निर्देश इस अधिनियम के अंतर्गत



दिया जा सकता है। इस प्रकार महिला को आवास की समस्या से दो-चार नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आवास मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तृतीय, इस अधिनियम में दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को घरेलू हिंसा या अन्य किसी विनिर्दिष्ट कार्य में सहायता करने अथवा ऐसा कार्य करने, कार्य स्थल अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान जहाँ सामान्यतः पीड़ित महिला का आना-जाना हो ऐसे स्थान पर प्रवेश करने, पीड़ित महिला से बात करने का प्रयास करने, दोनो पक्षों द्वारा प्रयुक्त की जा रही परिसंपत्तियों पर केवल अपना अधिकार स्थापित करने से भी रोकने का प्रावधान इस विधेयक में है।

जैसा कि स्पष्ट है कि पीड़ित महिला को आने जाने की स्वतंत्रता तथा परिसंपत्तियों पर अधिकार इस अधिनियम इस अधिनियम में देने का प्रयास किया गया है। वैसे भी आज घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर महिला को लगभग हर कार्य करना पड़ता है वह मां भी है, सरंक्षक भी और घर की आय में उसका एक बड़ा हिस्सा और सहयोग है। चौथी बात जो इस कानून में है वह कि इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनका दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति से कोई संबंध है अथवा रहा है। उन मामलों को भी इस कानून में जगह मिली है जिनमें दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति तथा पीड़ित महिला, दोनों क्यों की बीच समरक्तता, विवाह जैसे प्रसंग अथवा दत्तकग्रहण पर आधारित कोई रिश्ता है तथा जो एक परिवार के साथ रह रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त परिवार में रहने वाले परिजनों के संबंधों को भी कानून के दायरे में लाया गया है। बहनें, विधवाएं, माताएं, एकल महिलाएं तथा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के साथ रहने वाली महिलाएं भी कानून के सरंक्षण की हकदार होंगी।

आज बड़े-बड़े महानगरों में पुरुष और स्त्री विवाह से पूर्व भी साथ-साथ रहते हैं इन महिलाओं और युवतियों को भी इस कानून के अंतर्गत सरंक्षण प्रदान किया गया है। इस कानून के अंतर्गत पीड़ित महिला को राहत प्रदान करने के लिए जारी किए जाने वाले आदेशों में सरंक्षण आदेश, आवास आदेश, आर्थिक राहत संबंधी आदेश, अभिरक्षा तथा क्षतिपूर्ति आदेश सम्मिलित हैं। महिलाओं को अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा जांच, कानून सहायता, सुरक्षित आश्रय आदि प्राप्त कराने के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में सरंक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रबंध किया गया है साथ ही गैर-सरकारी संगठनों की सहायता एवं विशिष्ट सहयोग भी कानून को लागू करवाने में सहायक होंगे। कानून में एक वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। कानून इधर लागू नहीं हुआ कि उधर तमिलनाडु के एक जिले में इस कानून के तहत पहली गिरफ्तार की गयी।

महिलाओं को विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाए जाने से भी लाभ होगा। अभी तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य न होकर वांछनीय है। विवाह को पंजीकृत कराने को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक प्रस्तावना सरकार के समक्ष रखी है। सरकार भी महिलाओं के अधिकारों को लेकर चिंतित है और जल्द ही कानून का निर्माण करेगी। भारत में वर्षों से व्याप्त सतीप्रथा के लिए भी कानून आजादी के बाद बनाया गया। सतीप्रथा (निवारण) अधिनियम 1987 में बना लेकिन अब उसमें भी संशोधन की बात चल रही है। पहली विचार यह है कि सही होने का प्रयास करने वाली महिला को 'सामाजिक परिस्थितियों से पीड़ित' माना जाय न कि -'कानून का अपराधी'। अतः इस कानून से संबंधित धारा 3 पर संशोधन का विचार चल रहा है। पहले उपबंध में यह जोड़ा गया है कि सती होने का प्रयास दबाव या विवशता में किया। उसके परिवार सती होने से रोक सकते थे परंतु रोक नहीं।

दूसरे उपबंध में यह प्रावधान है कि यदि पहले उपबंध का मत गलत सिद्ध होता है तो सती होने का प्रयास 'सामाजिक परिस्थितियों' के कारण किया। यह सुझाव भी है जो लोग सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987 के अंतर्गत दोषी पाए गए हैं उन्हें जेल से रिहा होने पर भी संसद और राज्य सभाओं के साथ ही पंचायतों से भी 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने को आयोग्य घोषित किया जाए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में संशोधन की सिफारिशें भी भारत में अनैतिक व्यापार निवारण के लिए ठोस विचार है। अधिनियम से 'वयस्क' और 'अवयस्क' शब्दों के लोप का प्रावधान है। व्यक्तियों के अवैध व्यापार से संलिप्त लोगों को सजा देना और पीड़ित महिलाओं की रक्षा और गोपनीयता का प्रावधान भी इस संशोधन की मनुष्य बात है। भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस प्रकार के व्यापार को रोकने के लिए कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं। जैसे पंचायत तथा स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में सुग्राही बनाना ताकि अवैध व्यापार करने वाले आसानी से महिलाओं तथा बच्चों को अपना शिकार न बना सकें। अमेरिका ने भी इस दिशा में 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट' के माध्यम से अपना सहयोग दिया है। विभाग ने रोकथाम, बचाव तथा पुनर्वास के लिए धन की समुचित व्यवस्था की है और गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया है।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक पर विचार चल रहा है। यद्यपि भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के मध्य सहमति नहीं बन पायी है लेकिन आज या कल में सहमति बन जाएगी। यह विधेयक पास हो जाएगा तो

महिलाओं को संसद तथा विधान मंडलों में एक तिहाई आरक्षण मिल जाएगा। चूंकि विश्व के अनुपात में संसद में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की भी स्थिति इससे बेहतर है। न्यूजीलैंड में तो महिलाओं को अधिकार के बारे में सर्वप्रथम पहल हुई और अन्य पश्चिमी देश भी महिलाओं की स्थिति के मामले में भारत से उच्चतर स्थिति पर हैं। अतः इस विधेयक को भी जल्द से जल्द मंजूरी मिल जानी चाहिए। क्योंकि तब महिलाएं अपना कानून स्वयं बना सकेंगी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में पूर्ण योगदान दे सकेंगी। इन सभी कानूनों के लागू को जाने पर भी महिलाओं के समक्ष कुछ मूलभूत चुनौतियां हैं। यद्यपि कानून ही वह आधार प्रदान करता है जिसके दम पर महिलाओं के हित के लिए काम किया जाता है।

महिलाओं में दिनोंदिन बढ़ती गरीबी, निर्णय निर्माण में असमान सहभागिता, संसाधनों के प्रबंधन और पर्यावरण के संरक्षण में महिलाओं का अल्प योगदान विशेषकर ग्रामीण महिलाओं का, उत्पादन प्रक्रिया, नीतिनिर्माण और आधारभूत संरचना में महिलाओं की भागीदारी की असमानता, स्वास्थ्य की अपर्याप्त और असमान सुविधाएं आदि कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बिना महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा होने में संदेह है। निश्चित तौर पर यह समस्याएं हमारे समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था की ही देन हैं। महिलाओं को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संगठित कर, उनको अपना अधिकारों के प्रति जागरूक कर और सभी स्थानों पर उनके सहभागिता के स्तर को बढ़ाकर ही महिला सशक्तिकरण हो सकेगा और अपना देश तथा समाज भी सशक्त हो सकेगा।

भारत में महिलाओं से संबंधित समस्याओं की देखरेख के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत किया गया। यह महिलाओं का शीर्षस्थ सांविधिक निकाय है। यहां महिलाओं की समस्या को सुना, समझा और सांवैधानिक तरीके से हल किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों की कार्यकुशलता में सुधार की संस्तुतियां सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनकी समीक्षा कर रहा है। हाल ही में लागू किया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम में राष्ट्रीय महिला आयोग की महती भूमिका रही है। अभी तक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों की समीक्षा भी आयोग द्वारा की गयी है। सतीप्रथा (निर्धारण) अधिनियम 1987, स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम 1986, दहेज (निषेध) अधिनियम 1961 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 समीक्षा सूची में प्रमुख रूप से शामिल हैं। महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2005 को भी राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रशंसनीय कार्य ही माना जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अन्य प्रमुख कार्य अभिरक्षात्मक न्याय सुनिश्चित करना भी है। महिलाओं से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन एवं प्रबोधन, मौजूदा कानूनों की समीक्षा, जहां भी आवश्यक हो संशोधनों की सिफारिश और न जाने कितने कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह पंजीकरण विधेयक को अनिवार्य किए जाने की भी पहल की। इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य महिलाओं को सशक्त करना है ताकि महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त करें तथा राष्ट्र के निर्माण में समुचित भागीदारी दे सकें क्योंकि तभी भारत मजबूत राष्ट्र बन सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कानून द्वारा महिला उत्थान - डॉ. महेन्द्र नाथ मिश्र
2. नारी एवं सशक्तीकरण: एक मूल्यपरक विश्लेषण - डॉ. नागेन्द्रनाथ सिंह
3. महिला के बढ़ते कदम - डॉ. राजीव नयन गिरि
4. कानून और नारी - डॉ. पुष्पारानी
5. नारी और कानूनी अधिकार - डॉ. राकेश कुमार
6. नारी जीवन और कानून - डॉ. सेतु कुमार
7. सशक्तीकरण का सच - डॉ. शिव प्रताप सिंह